

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़)



Ph. & Fax No.-07864284401, Email- rmsa.sukma@gmail.com

क्रमांक/ 1877 /जि.शि.अ./स.शि./Spa. Edu./सुकमा/2023-24

सुकमा, दिनांक 05 /09/2023

//विज्ञापन//

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 1880/समग्र शिक्षा/माध्य. /24-14/2023-24 रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के अनुसार समग्र शिक्षा (SE) जिला सुकमा के तहत विकास खण्ड स्तर पर विकासखण्ड सुकमा हेतु स्पेशल एजुकेटर निश्चित अवधि (6 माह) हेतु कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2023 तक आमंत्रित किया जाता है।

पद का विवरण एवं आरक्षण :-

क्र	पदनाम	पद की संख्या	अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	योग
1	स्पेशल एजुकेटर	01	01	00	00	01

आवश्यक योग्यता :-

1. स्पेशल एजुकेटर पद हेतु -

- स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित)।

नियम एवं शर्तें :-

1. उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 06 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जाएगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला सुकमा को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकेगा।
2. अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. चयनित उम्मीदवार को अस्थायी रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्रेषित होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
5. जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला सुकमा डाक में विलंब के लिये जिम्मेदार नहीं होगा जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
6. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला सुकमा को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही, उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा, विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला सुकमा के पास सुरक्षित होगा।

// 02 //

7. इस पद हेतु एवं एकमुश्त मानदेय 20000/- (अक्षरी- बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह के मान से दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
8. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा।
9. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
10. चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।
 - स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का - 50 प्रतिशत
 - स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का - 25 प्रतिशत
 - बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का - 25 प्रतिशत अथवा बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा में प्राप्त प्रतिशत का- 25 प्रतिशत

- नोट :-
1. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ विशेष शिक्षा में डी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उन्हें केवल बी.एड. विशेष शिक्षा में प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।
 2. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा में बी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण हो तो उन्हें विशेष शिक्षा में बी.एड. के प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।
 11. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
 12. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
 13. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
 14. आवेदक को लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदक का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
 15. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय कम्पोजिट बिल्डिंग कमरा नं. 18 समग्र शिक्षा जिला सुकमा में सीधे स्वीकार नहीं किये जाएंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से ही स्वीकार होगी।
 16. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
 17. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
 18. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी से जारी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 19. आवेदन के साथ दो लिफाफा जिसमें 10-10 रुपये का टिकट सहित वर्तमान पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
 20. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति हेतु जिला परियोजना कार्यालय के सूचना पटल व जिले के वैबसाईट www.sukma.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
 21. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2023 को शाम 05 बजे तक उपरोक्त पते पर जमा करना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


 जिला शिक्षा अधिकारी
 सह जिला परियोजना अधिकारी SS.SE
 जिला-सुकमा (छ.ग.)